परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **राहुल नारंग, शेफाली नारंग और ओलम्पिया फिटनेस प्रा.लि.** को **08.05.2019** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLDMT00444119** की राशि **रू.2,02,20,698/- (रुपए दो करोड दो लाख बीस हजार छ सौ अठ्ठानवे मात्र)** और **08.05.2019** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **19.07.2019** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.2,02,20,698/- (रुपए दो करोड दो लाख बीस हजार छ सौ अठ्ठानवे मात्र) 08.05.2019** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा. उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपतियो को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान नं. एस-569 मापित क्षेत्र 1250 स्के.फीट (लगभग) दुसरी मंजिल पर (पीछे की ओर) एक सर्वंट कार्टर के साथ जमीन की उक्त प्लॉटमें मालिकी अधिकार के साथ मापित 1000 स्के.यार्डस, ब्लॉक -एस ग्रेटर कैलाश में स्थित, भाग-II , नई-दिल्ली- 110048।

उक्त संपत्ति निम्नुसार परिबद्ध है

पूर्व : टाइटल डीड के अनुसार **पश्चिम : टाइटल डीड के अनुसार**
उत्तर : टाइटल डीड के अनुसार **दक्षिण : टाइटल डीड के अनुसार**

दिनांक :19.07.2019
स्थान :नई दिल्ली

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **बिशन सिंह सिंघल, उमा सिंघल और आनंद सिंघल** को **10.05.2019** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HLAPDCP00162213** की राशि **रू.1,35,97,637/- (रुपए एक करोड पैंतीस लाख सतानवे हजार छ सौ सैंतीस मात्र)** और **09.05.2019** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **19.07.2019** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.1,35,97,637/- (रुपए एक करोड पैंतीस लाख सतानवे हजार छ सौ सैंतीस मात्र) 09.05.2019** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा. उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपतियो को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी भाग और खंड प्लॉट नं. बी-52(प्लॉट नं.52,ब्लॉक-बी) पर निर्मित, खसरा नं. 5/24/2 एमआइएन में से एरिया मापित 273.5 स्के.यार्डस ,''क्रिश्ना पार्क'' से पहचाने जाने वाली फ्री होल्ड मंजुर कॉलनी में स्थित, पोसंगी पुर गाँव के रेवेन्यु एस्टेट और एरिया में, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110018

उक्त संपत्ति निम्नुसार परिबद्ध है

पूर्व में : प्लॉट नं.51 **पश्चिम में : प्लॉट नं.53**
उत्तर में : सर्विस लेन 15 फीट चौडी **दक्षिण में : रोड**

दिनांक :19.07.2019
स्थान : नई दिल्ली

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **बिशन सिंह सिंघल, उमा सिंघल और आनंद सिंघल** को **10.05.2019** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HLAPDCP00161040** की राशि **रू.4,71,81,438/- (रुपए चार करोड ईकहत्तर लाख ईक्यासी हजार चार सौ अड़तीस मात्र)** और **09.05.2019** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **19.07.2019** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.4,71,81,438/- (रुपए चार करोड ईकहत्तर लाख ईक्यासी हजार चार सौ अड़तीस मात्र) 09.05.2019** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा. उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपतियो को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी भाग और खंड प्लॉट नं. बी-52(प्लॉट नं.52,ब्लॉक-बी) पर निर्मित, खसरा नं. 5/24/2 एमआइएन में से एरिया मापित 273.5 स्के.यार्डस ,''क्रिश्ना पार्क'' से पहचाने जाने वाली फ्री होल्ड मंजुर कॉलनी में स्थित, पोसंगी पुर गाँव के रेवेन्यु एस्टेट और एरिया में, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110018

उक्त संपत्ति निम्नुसार परिबद्ध है

पूर्व में : प्लॉट नं.51 **पश्चिम में : प्लॉट नं.53**
उत्तर में : सर्विस लेन 15 फीट चौडी **दक्षिण में : रोड**

दिनांक :19.07.2019
स्थान : नई दिल्ली

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **राहुल नारंग, शेफाली नारंग और ओलम्पिया फिटनेस प्रा.लि.** को **08.05.2019** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLDMT00398349** की राशि **रू.1,98,58,523/- (रुपए एक करोड अठ्ठानवे लाख अठ्ठावन हजार पाँच सौ तेईस मात्र)** और **08.05.2019** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **19.07.2019** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.1,98,58,523/- (रुपए एक करोड अठ्ठानवे लाख अठ्ठावन हजार पाँच सौ तेईस मात्र) 08.05.2019** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा. उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपतियो को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

परिसर क्षेत्र फ्लैट नं.-002 सुपर बिल्ट अप एरिया मापित 4172 स्के.फीट (लगभग) ऐस्पेन टॉवर के तल मंजिल पर, एक कवर्ड और एक खुली कार पार्किंग जगह के साथ ''द फोरेस्ट स्पा'' परियोजना में, सेक्टर -43, सुरज कुंड, फ़रिदाबाद-121012, हरियाणा

उक्त संपत्ति निम्नुसार परिबद्ध है

पूर्व : टाइटल डीड के अनुसार **पश्चिम : टाइटल डीड के अनुसार**
उत्तर : टाइटल डीड के अनुसार **दक्षिण : टाइटल डीड के अनुसार**

दिनांक :19.07.2019
स्थान :फरिदाबाद

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank

शाखा कार्यालय : रोहिणी सेक्टर-15, दिल्ली प्रधान कार्यालय : बेंगलुरू

कब्जा सूचना (धारा 13(4)) (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि केनरा बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम 54 ऑफ 2002) (जिसे यहां बाद में "अधिनियम" कहा गया है) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत दिनांक 06.09.2018 को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें कर्जदार **श्रीमती सुदेश मलिक, पति श्री सुरेन्द्र कुमार मलिक, आवास 1714, सेक्टर 12, सोनीपत-131001 स्वत्वाधिकारी मैसर्स निकिता टेक्सटाइल्स** को संबंधित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम **रु. 44,52,904.44 (रुपये चौवालीस लाख बावन हजार नौ सौ चार एवं पैसे चौवालीस मात्र (शब्दों में)** की रकम चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदार द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में असफल रहने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत **18 जुलाई, 2019** को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेषकर कर्जदार तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे उल्लिखित संपत्तियों से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति के संबंध में कोई भी सौदा **रु. 44,52,904.44 तथा उस पर ब्याज** की रकम के लिए केनरा बैंक के प्रभार का विषय होगा।

प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. यूजी-3, अपर ग्राउंड फ्लोर, खसरा नं. 834 एमआईएन, 835 एमआईएन, 836 एनआईएन का भाग, विस्तारित लाल डोरा अबादी, ग्राम-डेरा मंडी, तहसील हौज खास (मेहरौली), नई दिल्ली-110074 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा

चौहद्दी : उत्तर में : प्रवेश द्वारा एवं फ्लैट नं. यूजी-2, दक्षिण में : पैसेज
पूर्व में : पैसेज, पश्चिम में : फ्लैट नं. यूजी-4

तारीख : 18.07.2019; स्थान : नई दिल्ली **अधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

वसूली अधिकारी–II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण–III, दिल्ली
4वां तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली–110001

आर.सी. नं. 352/2018 **इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम श्री हरी ओवरसीज प्रा. लि. एवं अन्य** **दिनांक 05.07.2019**

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

सीडी नं. 1: मेसर्स श्री हरी ओवरसीज प्रा. लि., 783, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
सीडी नं. 2: सुश्री पल्लवी गुप्ता, डीयू–97, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110036
और यहाँ भी: यूनिट नं. जी–24, भूतल, एनडीएम–।। बिल्डिंग, प्लाट नं. 1, 2, 3, बजीरपुर डिस्ट्रीक सेन्टर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली–110034
सीडी नं. 3: श्री आलोक गुप्ता, यूनिट नं. 504, 5वां तल, केएलजी टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली–110034
सीडी नं. 4: श्री दीपक गुप्ता, डीयू–97, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110036
सीडी नं. 5: सुश्री शारदा गुप्ता, डीयू–97, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110036
सीडी नं. 6: श्री सत प्रकाश मित्तल (दिवंगत)
डीयू–97, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110036 अपने विधिक प्रतिनिधियों
ए) श्रीमती शारदा गुप्ता (पत्नी) डीयू–97, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110036
बी) श्री दीपक गुप्ता (पुत्र) डीयू–97, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110036
सी) श्रीमती सुनीता गुप्ता (पुत्री) डीयू–97, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110036
डी) श्रीमती सोनल गुप्ता (पुत्री) 139, इंजीनियर्स एन्कलेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110036
ई) श्रीमती अलका गुप्ता (पुत्री) डीयू–97, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110036
एफ) श्रीमती रीना गुप्ता (पुत्री) डीयू–97, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110036 के माध्यम से
सीडी नं. 7: मेसर्स जोश इंफ्राटैक प्रा. लि., 607, सचदेवा कारपोरेट टॉवर, डीडीए कम्यूनिटी सेन्टर, सेक्टर–8, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
सीडी नं. 8: मेसर्स शिरडी वाले सांई एक्जिम प्रा. लि., 4/67, डब्ल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
सीडी नं. 9: आदित्य मीडिया नेटवर्क प्रा. लि., 401, अग्रवाल कारपोरेट हाईट्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034
सीडी नं. 10: जोश एयरोजेट सर्विसेज प्रा. लि., 401, अग्रवाल कारपोरेट हाईट्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034

जैसे कि आप ओ.ए. सं. 708/2016/डीआरटी–III, दिल्ली दिनांकित 31.08.2016 में पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार **रु.** 21,45,67,056/– (रुपये इक्कीस करोड़ पैंतालीस लाख सड़सठ हजार और छप्पन मात्र) और वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज व लागतों का भुगतान करने में असफल रहे हैं।

और अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र को पूरा करने के लिए अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जैसे कि आपके/सीडी के विरुद्ध ओ.ए. अर्थात 31.08.2016 के दर्ज होने की तारीख से पूर्ण वसूली तक 12% वार्षिक दर से ब्याज और प्रासंगिक व्ययों के साथ रु. 21,45,67,056/– (रुपये इक्कीस करोड़ पैंतालीस लाख सड़सठ हजार और छप्पन मात्र) देय है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश के नहीं होने पर उक्त संपत्ति ई–नीलामी द्वारा **28.08.2019 को समय अप. 03:00 से अप. 04:00** (यदि आवश्यक हुआ तो नीलामी समाप्ति के अंतिम 5 मिनटों में कोई बोली की जाती है तो स्वतः विस्तार नियम के साथ) के बीच बिक्री की जायेंगी और निविदाकरण वेबसाइटः– **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज–2, गल्फ पेट्रोकैम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुडगांव, प्रथम तल, हरियाणा–122015, हेल्पलाइन नं. +91–124–4302020/21/22/23/24, मोबाइल नं.: 09813887931, ईमेल आईडीः** support@bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलैक्ट्रोनिक निविदाकरण" होगी।

अधिक विवरण के लिए श्री संजय सिन्हा, सीएच बैंक का अधिकारी, मोबा. नं. 9999467030 को संपर्क करें। इच्छुक निविदाकार ईएमडी जमा करने से पूर्व संपत्ति निरीक्षण के लिए उपरोक्त अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री नीचे अनुसूची में यथाउल्लिखित उपरोक्त प्रतिवादी की संपत्ति की होगी और उक्त संपत्ति पर देयताओं और दावों जो अब तक सुनिश्चित हुए हैं, प्रत्येक लोट के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट किए हैं।

संपत्ति अनुसूची में निर्दिष्ट लोटों में बिक्री के लिए रखी जायेगी। यदि वसूल किए जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो बिक्री शेष संपत्ति के लिए उसी समय रोक दी जायेगी। यदि संपत्ति के किसी भी लोट की बिक्री से पूर्व उक्त प्रमाणपत्र में उल्लिखित अधिशेष राशि, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करा रहे अधिकारी के पास जमा कर दी जाती है या ऐसा साक्ष्य दिया जाता है कि इस प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज और लागतें अधोहस्ताक्षरी को भुगतान कर दी गई हैं, तो भी बिक्री रोक दी जायेगी।

बिक्री करा रहे या किसी भी प्रकार से इससे जुड़ा कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं कर सकता, बेची गई संपत्ति का अधिग्रहण या कोई भी हित साधने का प्रयास नहीं कर सकता। बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित और इसके तहत नियमों और निम्नलिखित शर्तों के तहत होगी।

संलग्न अनुसूची में दिया गया ब्यौरा अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान और जानकारी में दिए गए हैं, यद्यपि इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, भूल या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार नहीं होगा।

1. संपत्तियों, आरक्षित मूल्य जिससे कम पर संपत्ति नहीं बेची जायेगी और ईएमडी का विवरण निम्नवत् हैः

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	**संपत्ति नं. जी–24, भूतल, एनडीएम–2, बिल्डिंग प्लाट नं. डी–1, 2, 3, बजीरपुर डिस्ट्रीक सेन्टर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली–110034**	**रु. 1,53,00,000/–** **रु. 15,30,000/–**

2. बोली **रु. 1,00,000/–(रुपये एक लाख मात्र)** से बढ़ाई जा सकती है। बोली राशि या, बोलीकार के किसी विवाद की स्थिति में लोट नीलामी के लिए दुबारा रखा जाएगा।
3. उच्चतम बोलीकार को संबंधित लोट का क्रेता घोषित किया जायेगा, बशर्ते उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि ऑफर किया गया मूल्य स्पष्ट रूप में अपर्याप्त होता है तो उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी के विवेकाधीन होगा।
4. ईएमडी राशि वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में डीडी/पे आर्डर द्वारा **26.08.2019** को वसूली अधिकारी, डीआरटी–III, दिल्ली के पास जमा करनी होगी। इसके बाद जमा ईएमडी पर ई–नीलमी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
5. पेन कार्ड, पता प्रमाण एवं पहचान प्रमाण की प्रति, ई–मेल आईडी, मोबाइल नं और घोषणा यदि वे अपनी ओर या अपने मालिक की ओर से बोली कर रहे हैं, के साथ जमा करनी होगी। यदि मालिक की ओर से बोली कर रहे हैं तो उन्हें अपना प्राधिकार जमा करना होगा, ऐसा न होने पर उनकी बोलियाँ अस्वीकार कर दी जायेंगी। कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित संकल्प की प्रति या अन्य कोई दस्तावेज जो प्रतिनिधित्व/ कंपनी की अटॉर्नी सुनिश्चित करता हो, और ऐसे जमा की रसीद/काउंटर फाइल उक्त सेवा प्रदाता या ई–मेल द्वारा सीएच बैंक या अन्य किसी तरीके से उक्त तिथि तक और भौतिक प्रति वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–III, दिल्ली के पास जमा करनी होगी।
6. असफल निविदाकार/ओं को अपनी ईएमडी वापस लेने के लिए आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि तक या इससे पूर्व डीआरटी–III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दर्ज करने के लिए निदेशित किए किया जाता है और तद्नुसार ईएमडी आरसी सुनवाई की निर्धारित/अगली तारीख को वापस कर दी जायेगी।
7. सफल निविदाकार को बिक्री राशि की 25% राशि ईएमडी समायोजित करते हुए अगले कार्य दिवस में अर्थात अप. 3:00 बजे तक उपर्युक्त पैरा 4 में दिए विवरण अनुसार उक्त खाते में जमा करनी होगी।
8. क्रेता को बिक्री राशि की शेष 75% राशि संपत्ति की बिक्री से 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो उपरोक्तानुसार निर्धारित माध्यम से 15वें दिन के बाद अगले प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में रु. 1000 तक 2% और रु. 1000 से अधिक सकल राशि पर 1% की पाउन्डिज शुल्क भी वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–III के पास जमा करना होगा।
9. निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान में चूक पर यदि अधोहस्ताक्षरी को उचित लगता है तो बिक्री के व्ययों को काटकर जमा राशि को सरकार के पास जब्त करा दिया जायेगा और चूककर्ता क्रेता संपत्ति या जमा राशि पर सभी दावें खा देगा। संपत्ति बिक्री की नयी उद्घोषणा के बाद दुबारा बेची जायेगी। साथ ही क्रेता अपनी अंतिम बोली और बाद में संपत्ति की बिक्री मूल्य में अंतर या कमी को पूरा करने के लिए भी देनदार होगा।
10. संपत्ति **"जहाँ है, जो है और जैसी भी है"** आधार पर बेची जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी बोलियों को यदि वह इन्हें गैर जरूरी समझता है, स्वीकार या अस्वीकार अथवा किसी भी चरण के दौरान नीलामी स्थगित करने का अधिकार होगा।

लोटों की सं.	बेची जा रही संपत्ति का विवरण सह–मालिकों के नाम सहित जहाँ संपत्ति चूककर्ता की है और अन्य कोई सह–मालिकों के रूप में है	संपत्ति या इसके किसी भाग पर आंका गया राजस्व	कोई भी भार जिसके अधीन संपत्ति है, का विवरण	दावे, यदि कोई हो, जो सपंत्ति पर अग्रेषित किये गये हैं, और इसकी प्रकृति एवं मूल्य पर अन्य कोई ज्ञात विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	संपत्ति नं. जी–24, भूतल, एनडीएम–2, बिल्डिंग प्लाट नं. डी–1, 2, 3, बजीरपुर डिस्ट्रीक सेन्टर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली–110034	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे द्वारा और मेरी मुहर के तहत 5 जुलाई, 2019 को जारी

(विकास जेटली)
वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–III, दिल्ली

केनरा बैंक Canara Bank

शाखा कार्यालय : रोहिणी सेक्टर-15, दिल्ली प्रधान कार्यालय : बेंगलुरू

कब्जा सूचना (धारा 13(4)) (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि केनरा बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम 54 ऑफ 2002) (जिसे यहां बाद में "अधिनियम" कहा गया है) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत दिनांक 18.04.2019 को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें कर्जदार **श्री शिवाल श्रीवास्तव पिता श्री अशोक श्रीवास्तव आवास 52/1, चूड़ी वाली गली यूसुफ सराय दिल्ली-110023 स्वत्वाधिकारी मैसर्स खुशहाल इंटरनेशनल** को संबंधित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम **रु. 52,93,607/- (रुपये बावन लाख तिरानवे हजार छह सौ सात मात्र (शब्दों में)** की रकम चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदार द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में असफल रहने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत **18 जुलाई, 2019** को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेषकर कर्जदार तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे उल्लिखित संपत्तियों से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति के संबंध में कोई भी सौदा **रु. 54,52,802/- तथा उस पर ब्याज** की रकम के लिए केनरा बैंक के प्रभार का विषय होगा।

प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. यूजी-2, अपर ग्राउंड फ्लोर, खसरा नं. 834 एमआईएन, 835 एमआईएन, 836 एनआईएन का भाग, विस्तारित लाल डोरा अबादी, ग्राम-डेरा मंडी, तहसील हौज खास (मेहरौली), नई दिल्ली-110074 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा

चौहद्दी : उत्तर में : फ्लैट नं. यूजी-1, दक्षिण में : पैसेज एवं फ्लैट नं. 3 एवं 4
पूर्व में : पैसेज, पश्चिम में : सीढ़ी एवं पैसेज

तारीख : 18.07.2019; स्थान : नई दिल्ली **अधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

केनरा बैंक Canara Bank

शाखा कार्यालय : रोहिणी सेक्टर-15, दिल्ली प्रधान कार्यालय : बेंगलुरू

कब्जा सूचना (धारा 13(4)) (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि केनरा बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम 54 ऑफ 2002) (जिसे यहां बाद में "अधिनियम" कहा गया है) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत दिनांक 18.04.2019 को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें कर्जदार **श्रीमती रेखा शर्मा, पति श्री नवीन शर्मा, आवास 656/1, एसएफ, भोरो का चौक चिराग दिल्ली शेख सराय, दिल्ली-110017 स्वत्वाधिकारी मैसर्स रेखा ट्रेडिंग कंपनी** को संबंधित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना मे उल्लेखित रकम **रु. 52,22,894/- (रुपये बावन लाख बाईस हजार आठ सौ चौरानव